न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/1711/2005/हनुमानगढ़

1— राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट

बनाम

1— सुलतान पुत्र अमरूराम जाति चमार साकिन कोलासर तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः—

शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता।

रेस्पो0 व रेस्पो0 अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 06.08.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपील संख्या 67/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादी ने अपीलांट राजस्थान सरकार के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादी के पिता अमरू व उसे ताऊ बुधराम दोनों भाई संवत् 2013 में मौजा भापासी जिला चुरू से आकर मौजा कोलासर में आबाद हुए। दोनों भाईयों ने मौजा मिनकदेसर के साबिक खसरा संख्या 25 की 31—32 बीघा भूमि संवत् 2013 में नोतोड़ कर काश्त करना शुरू किया था, तभी से उसका कब्जा काश्त चला आ रहा है और उपरोक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। अमरू व बुधराम ने संवत् 2013—14 में उक्त भूमि आवंटन कराने हेतु समय—समय पर प्रार्थना पत्र भी दिए तथा बुधराम

को संवत् 2014 में खसरा संख्या 25 में 20 बीघा भूमि आवंटन कर दी गई, पहले बुधराम व उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिस के नाम दर्ज हुई तथा उनका कब्जा काश्त है। वे उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। साबिक खसरा संख्या 25 की 11–12 बीघा भूमि पैमाईश में हाल खसरा संख्या 122, 11–10 बीघा में परिवर्तित हो चुकी है। अमरू द्वारा बार–बार फरियाद करने के बाद भी उसके नाम आवंटन नहीं हो रही है, जबकि आराजी पर उसका कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि सन् 75 में अमरू के दरख्वास्त के बावजूद अन्य व्यक्ति भजनाराम को आवंटन कर दी गई थी, जिसकी अपील अमरूराम द्वारा की गई जो सन् 1976 में स्वीकार की गई तथा आवंटन निरस्त कर दिया गया। अब वादी का उक्त भूमि पर मुतबातिर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जावें। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार किया तथा वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2002 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष पेश की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.12.2004 द्वारा स्वीकार कर लिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3– हमनें अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी ।

4– अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि खसरा संख्या 122, रकबा 11–10 बीघा भूमि राजकीय भूमि है तथा उक्त भूमि कभी भी वादीगण या उसके पिता को आवंटित नहीं हुई थी और ना ही उनका आराजी पर कोई कब्जा काश्त चला आ रहा था। अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष तनकी संख्या 1 यह बनाई गई थी कि खसरा संख्या 122 रकबा 11–10 बीघा भूमि का वह खातेदार काश्तकार है।

इस तनकी को सिद्ध करने के लिए उसके द्वारा न तो कोई आवंटन आदेश प्रस्तुत किया गया तथा ना ही कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किया गया, जिससे की उक्त भूमि पर उसकी खातेदारी सिद्ध होती हो। अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि प्रतिकूल कब्जे की मियाद राज्य सरकार के विरूद्ध 30 वर्ष की है। इस बाबत् उसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध होता हो कि उसका वादग्रस्त भूमि पर निर्विवाद एवं निर्विघ्न रूप से कब्जा काश्त 30 साल से चला आ रहा हो। इसके विपरीत उसे अतिक्रमी मानते हुए समय–समय पर बेदखल किया जाता रहा है। इस कारण उसे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता था। आराजी मुतनाजा उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है। इस कारण उपनिवेशन क्षेत्र में खातेदारी अधिकार देने के प्रावधान धारा 15 एएए के तहत है। इस कारण उसे उक्त प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था जो उसने नहीं किया। इस कारण उसे अब एडवर्स पजेशन के आधार पर अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार के एवं बिना तथ्यों के विश्लेषण एवं विवेचन किए बिना ही अनियमित रूप से विपक्षी रेस्पो0/वादी का कब्जा 30 साल से पुराना मानकर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा डिक्री किए जाने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.12.2004 को निरस्त किया जावें तथा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2002 को यथावत् रखा जावें।

5– विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.12.2004 के विरूद्ध मण्डल में अपील दायर करने हेतु तहसीलदार (राजस्व), नोहर को जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 05.02.05 को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुए अपील दायर करने का आदेश प्रदान किया जो तहसीलदार (राजस्व), नोहर को दिनांक 09.02.05 को प्राप्त हो गया। फरवरी 05 में ग्राम पंचायतों के चुनाव होने के कारण इनमें व्यस्त होने के कारण एवं तत्पश्चात् प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण प्रभारी अधिकारी नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत नहीं कर

सकें। अब उक्त कार्य से निवृत्त होकर अपीलीय न्यायालय तथा विचारण न्यायालय के निर्णयों की प्रतियां प्राप्त कर बिना कोई विलंब किए आज दिनांक को अपने अधिवक्ता से संपर्क कर अपील तैयार करवाकर माननीय मण्डल न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है। इस प्रकार अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलंब सद्भावी एवं संतोषप्रद है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जावें तथा अपील को अंदर मियाद शुमार किया जावें।

6— हमनें अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किए है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजस्व, नोहर के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि वादी के पिता अमरू व उसके ताऊ बुधराम दोनों भाई थे तथा संवत् 2013 में मौजा मापासी जिला चुरू से आकर मौजा कोलासर में आबाद अुए तथा उन दोनों भाईयों ने मौजा मिनकेदेसर के साबिक खसरा नंबर 25 रकबा 31—32 बीघा भूमि में संवत् 2013 मे नोतोड़ कर काश्त करनी शुरू कर दी थी तब से पहले अमरू व बुधराम व उनके पश्चात् उनके वारिस उनके लड़कों का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अमरू व बुधराम संवत् 2013—2.14 से उक्त भूमि आवंटन करवाने हेतु समय—समय पर आवेदन देते रहे तथा बुधराम को संवत् 2014 में साबिक खसरा नंबर 25 में 20 बीघा आवंटन कर दी गई किन्तु उक्त साबिक खसरा नंबर 25 की 11—12 बीघा भूमि जो पैमायश हाल में हाल खसरा नंबर 122 रकबा 11—10 बीघा बने है, का आवंटन वादी के पिता अमरू के नाम नहीं किया गया है जबकि कब्जा काश्त अमरू व उसके पश्चात् वादी का चला आ रहा है । इसके बावजूद उक्त भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा सन् 1975 में भजवाराम धाणक को कर दिया गया । उक्त आवंटन के विरूद्ध अमरू द्वारा अपील किये जाने पर अपील स्वीकार की जाकर उक्त आवंटन

निरस्त किया गया है । विवादित भूमि पर वादी का निरन्तर कब्जा काश्त होने से उसे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है । अतः वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी को तलब किया जिस पर प्रतिवादी ने उपस्थित होकर वाद कथनों से इंकार कर वाद खारिज करने का निवेदन किया । विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर दादरसी सहित 5 तनकीयात कायम कर वाद खारिज किया है ।

8— विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 यह कायम की थी कि— 'आया वादी आराजी जरई खसरा नंबर 122 रकबा 11—10 बीघा वाके रोही मौजा मिनकडेसर तहसील नोहर का खातेदार काश्तकार है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । तनकी संख्या 1 के निर्णय में विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह निष्कर्ष अंकित किया है कि इस तनकी को सिद्ध करने हेतु वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि विवादित भूमि कभी भी वादी अथवा उसके पूर्वजों को आवंटित हुई हो । इस तनकी के क्रम में प्रतिवादी ने अपने जवाब में कथन किया था कि विवादित भूमि सिवायचक भूमि है जिसका कभी भी वादी को आवंटन नहीं हुआ है । विवादित सिवायचक भूमि पर वादी ने अतिक्रमण कर काश्त की थी जिसके विरूद्ध धारा 22 कोलोनाईजेशन एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है । वादग्रस्त भूमि कोलोनाईजेशन एरिया की घोषित हो चुकी है । विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष विधिसम्मत् है क्योंकि वादी/रेस्पो0 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि उक्त आराजी उसके पूर्वज को आवंटित की गई हो । जहां तक कब्जे का प्रश्न है विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज थी जिस पर वादी द्वारा अतिक्रमण काश्त किये जाने पर उसके विरूद्ध धारा 22 कोलोनाईजेशन एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। वादी ने प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है । विधिनुसार प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नहीं है । जैसा कि मण्डल की वृहद पीठ द्वारा आर0आर0डी0 2011 पेज 508 में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि—**''प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते है।''** इसके बावजूद प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी/रेस्पो0 की अपील प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा

सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य पायी जाती है ।

9— परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2004 निरस्त किया जाता है तथा सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2002 यथावत् रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य